



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270857
CG-DL-E-12032026-270857

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1226]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1226]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1283(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. ३७२२ तारीख १३/०८/२०२५ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६६जी तलेरे-गगनबावडा-कोल्हापुर रोड के कि.मी. ०/०० से कि.मी. ०६/०० और कि.मी. १३/००० से कि.मी. १९/४४० तक के भूखंड में निर्माण (चौडाकरण/पेव्ड शोल्डर २ लेन/ ४- लेन का बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३क की उपधारा(३)के अधीन का.आ. ३७२२ तारीख १३/०८/२०२५ में तारीख ०१/०९/२०२५ को "दैनिक पुढारी" और "दैनिक प्रहार" में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६६जी तलेरे-गगनबावडा-कोल्हापुर रोड के कि.मी ०/०० से कि.मी.०६/०० और कि.मी. १३/००० से कि.मी. १९/४४० खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

| राज्य का नाम: महाराष्ट्र | | | जिले का नाम: सिंधुदुर्ग | | |
|--------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| तालुक का नाम: वैभववाडी | | | | | |
| गांव का नाम: जामदारवाडी | | | | | |
| 1 | २२/२ | निजी | कृषिक | 0.04 | राधिका कृष्ण मेस्त्री, नाना भिवा सुतार, भास्कर भिवा सुतार, रमेश भिकाजी सुतार, रामभाऊ भिकाजी सुतार, वसंत भिकाजी सुतार, विश्वनाथ भिकाजी सुतार, महादेव भिकाजी सुतार, नागेश भिकाजी सुतार, प्रमिला प्रभाकर सुतार 22/2 Part |
| 2 | २२/२ | निजी | वरकस | 0.026 | राधिका कृष्ण मेस्त्री, नाना भिवा सुतार, भास्कर भिवा सुतार, रमेश भिकाजी सुतार, रामभाऊ भिकाजी सुतार, वसंत भिकाजी सुतार, विश्वनाथ भिकाजी सुतार, महादेव भिकाजी सुतार, नागेश भिकाजी सुतार, प्रमिला प्रभाकर सुतार 22/2 Part |
| Total | | | | 0.066 | |

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/65/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1283(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways **S.O.3722(E).Dated 13/08/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-Section (ii) Issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **building (widening/two lane with pave shoulder/four laning etc.) Maintenance, management and operation of Talere-Gaganbawada-Kolhapur Road National Highway 166-G on the stretch of land from Ch. 0/00 to 06/00 to Ch. 13/000 to 19/440 in the district of Sindhudurg in the State of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O.3722(E) Dated 13/08/2025** has been published in "**Dainik Pudhari**" And "**Dainik Prahar**" both dated **01/09/2025** ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately:

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling Talere-Gaganbawada-Kolhapur Road National Highway 166G within the stretch of land from Ch. 0/00 to 06/00 to Ch. 13/000 to 19/440 in the district of Sindhudurg in the State of Maharashtra.

| State: MAHARASHTRA | | | District: SINDHUDURG | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------|--|
| Sl. No. | Survey/Plot Number | Type of Land | Nature of Land | Area (in Hectares) | Name of Land Owner/Interested Person |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Taluk: Vaibhavvadi | | | | | |
| Village: Jamdarwadi | | | | | |
| 1 | 22/2 | Private | Agricultural | 0.04 | Radhika Krushna Mestri,Nana Bhiwa Sutar,Bhaskar Bhiva Sutar,Ramesh Bhikaji Sutar,Rambhau Bhikaji Sutar,Vasant Bhikaji Sutar,Vishwanath Bhikaji Sutar,Mahadev Bhikaji Sutar,Nagesh Bhikaji Sutar,Pramila Prabhakar Sutar 22/2 Part |
| 2 | 22/2 | Private | Varkas | 0.026 | Radhika Krushna Mestri,Nana Bhiwa Sutar,Bhaskar Bhiva Sutar,Ramesh Bhikaji Sutar,Rambhau Bhikaji Sutar,Vasant Bhikaji Sutar,Vishwanath Bhikaji Sutar,Mahadev Bhikaji Sutar,Nagesh Bhikaji Sutar,Pramila Prabhakar Sutar 22/2 Part |
| Total | | | | 0.066 | |

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/65/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director